रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2001/माघ 16, 1922

No. 27] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2001/MAGHA 16, 1922

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

अधिसूचना प्रारूप

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2001

सं. डीएसी/एमआईएससी/2001/2808.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1981 में संशोधन करने के अनुक्रम के एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1 ये विनियम पंजाब एंड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2000 कहलायेंगे।

2. ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1981 के विनियम 24 में निम्नलिखित विनियम का समावेश किया जायेगा अर्थात् :—

24(क) कार्यकारी महिला से यौन उत्पीड़न का निषेध:

1 कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी कामकाजी महिला के कार्यस्थल पर उसके साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न में लिप्त नहीं होगा।

2 प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी, जो कि किसी कार्यस्थल का प्रभारी है वह उस कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण :—इस विनियम के उद्देश्य से "यौन उत्पीड़न" में ऐसे गैर-स्वागतीय अश्लील बर्ताव (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) को शामिल किया जाता है, जैसे :—

(क) शारीरिक संपर्क बढ़ाना,

(ख) यौन संबंधों के लिए मांग एवं प्रस्ताव,

(ग) यौन संबंधी टिप्पणियां,

(घ) अश्लील मुद्रित सामग्री दिखाना, अथवा

(ङ) अन्य कोई यौन प्रवृति के गैर-स्वागतीय शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

यू. एस. कोहली, उप महाप्रबंधक (कार्मिक)
[विज्ञापन-III/IV/असा./134/2000]

PUNJAB & SIND BANK

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2001

No. DAC/MISC/2001/2808.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following Regulations further to amend the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1981 namely :

1 (1) These regulations may be called the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1981, after regulation 24, the following regulations shall be inserted, namely :—

24A. Prohibition of Sexual Harassment of Working Women .

(1) No officer employee shall indulge in any act of Sexual harassment of any woman at her work place

(2) Every officer employee who is in-charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

EXPLANATION—For the purpose of this regulation, "sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or otherwise) as—

(a) physical contact and advances,

(b) a demand or request for sexual favours;

(c) sexually coloured remarks,

(d) showing pornography, or

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature

U S KOHLI, Dy. General Manager (Personnel)
[ADVT-III/IV/Exty./134/2000]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054